

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी बन्नादेवी अलीगढ़।

पत्रसं०:-एफ०एस०ओ० / मेरा० / अ०सु०प्रा०प० / 2013 दिनांक:-11/03/2013
सेवा में,

प्रबन्धक / व्यवस्थापक

मेरसर्स मदर टच स्कूल

कोडरा रोड माजरा हरदुआगंज- अलीगढ़।

विषय:-आपके मदर टच स्कूल कोडरा रोड माजरा हरदुआगंज -अलीगढ़ में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था का निरीक्षण कर अग्निशमन व्यवस्था का कियाशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने विषयक। .

संदर्भ:-आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 05-03-2013।

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ में मदर टच स्कूल कोडरा रोड माजरा हरदुआगंज -अलीगढ़ में स्थापित प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्था का अग्निसुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो विद्यालय भवन में 10 फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर बकेट व निकास मार्ग के प्रदिप्त चिन्ह तथा निकास मार्ग निरीक्षण के समय कार्यशील, संन्तोषजनक दशा में पाया गया तथा स्कूल के कार्यरत स्टाफ को प्राथमिक अग्निशमन यंत्र/उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा फायर एक्सटिंग्यूशरों की रिफिलिंग स्कूल प्रबन्धक द्वारा स्वयं करा लिया गया पाया गया।

अतः उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील बनाये रखना सम्बन्धित प्रबन्धक / व्यवस्थापक का उत्तरदायित्व होगा के शर्त पर शासनादेश सं० 1528/07-06-2008 दिनांक 20-07-2009 के अनुपालन में प्रबन्धक द्वारा द्रेजरी चालान नं०-ए०-112441 दिनांक 09/03/2013 से रु०- 100/- राजकीय कोषगार में जमा कराकर प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के कियाशीलता का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील होने की दशा में यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। अग्निशमन व्यवस्था को प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर परीक्षण शुल्क राजकीय कोषगार में जमा कराना आवश्यक होगा।

(सूर्यनाथ प्रसाद)
अग्निशमन अधिकारी
बन्नादेवी अलीगढ़।

कार्यालय: अग्नि शमन अधिकारी,
पत्रांक: फा० संख्या-९/२००६
सेवा में,
सहायक नगर नियोजक
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण
अलीगढ़ (उ० प्र०)

अलीगढ़ (उ० प्र०)
दिनांक: ३०/०५/२००६


विषय: श्रीमती आरती भित्तल पत्नी श्री समर्थ भित्तल द्वारा प्रेषित स्कूल भवन के प्रस्तावित मानवित्र के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ: आपका पत्र संख्या २८८/म०लि० -१/ अग्निशमन वि०/ दिनांक २२/०५/२००६.

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संलग्न मानवित्र के अनुसार भवन का कुल प्लॉट एरिया २५३७.७३ वर्ग मीटर तथा कुल कवर्ड एरिया १७८९.५० वर्ग मीटर है जिसका मेरे द्वारा साइट पर निरीक्षण किया गया तदनुसार सम्बित द्वारा अग्निशमन फिक्सड इन्स्टालेशन सुरक्षा व्यवस्थाएँ निम्नानुसार की जायेगी।

- (१) रौट बैक अग्रभाग में ०९ मीटर, पृष्ठ भाग में ०४ मीटर तथा पाश्व में दोनों ओर ०३-०३ मीटर सदैव अवरोध रहित रहेगा।
- (२) भू आच्छादन ३५% से अधिक नहीं होगा तथा भू आच्छादन का १०% क्षेत्र ही अतिरिक्त सामुदायिक उपयोग के लिए इस शर्त के साथ तल क्षेत्र अनुमन्य होगा कि अग्नि सुरक्षा कार्यों पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
- (३) १०००० लीटर का रिजर्व वाटर टेरस टैक तथा ४५० लीटर प्रति मिनट क्षमता का फायर पम्प की भी व्यवस्था अग्निशमन कार्यों हेतु करायी जायेगी, यह रिजर्व टैक अन्य कार्यों में नहीं आयेगा।
- (४) फायर पम्प स्वचालित पद्धति पर आधारित होगा तथा इसके लिए वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था का भी प्राविधान किया जायेगा अर्थात पर्याप्त क्षमता के जेनेरेटर की व्यवस्था रहेगी।
- (५) डाउन कमर हौज पाइप एवं हौज रील की व्यवस्था मय ब्रान्च प्रत्येक तल पर नियमत स्टेयर के समीप करायी जायेगी।
- (६) टेरस टैक में पानी की लगातार सम्पूर्ति के लिये न्यूनतम ५०० लीटर प्रति मिनट क्षमता का बोर ट्र्यूवरैल / सबमर्सिवल पम्प की भी व्यवस्था की जायेगी।
- (७) विद्युत फिटिंग से सम्बित कार्य इलैक्ट्रिसिटी रूल्स एवं आई०एस०: १६४६ मानकों के अनुसार ही कराये जायेंगे।
- (८) भवन में आई०एस० : २१९० मानकों के अनुरूप अग्निशामकों की व्यवस्था की जायेगी तथा कार्यरत स्टाफ को इन्हें चलाने का व्यवहारिक ज्ञान भी दिलाया जायेगा।
- (९) भवन के सभी निकास मार्गों तथा अग्निशमन व्यवस्था को फोटो लैमिनेस से चिन्हित किया जायेगा। तथा त्रैमासिक रूप से इवैक्यूसन ड्रिल (पलायन) कराई जायेगी।

तदानुसार यह अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि प्रस्तावित भवन अनुसार मानवित्र ग्राम कोडरा रोड, ताला नगरी तहसील कोल जिला अलीगढ़ में उपरोक्तानुसार सभी व्यवस्थाएँ पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अवगत करायेंगे। यह प्रमाण पत्र भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने तक अथवा ५ वर्ष तक वैध होगा।

संलग्नक: सत्यापित मानवित्र।


(ए०पी०सि०ह)
अग्निशमनी अधिकारी
अग्नि शमनीगढ़ विकास
श्लोगद

प्रतिलिपि : श्रीमती आरती भित्तल पत्नी श्री समर्थ भित्तल निकट एवं ० डॉ० एफ० सी० बैंक रामघाट रोड